

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2013 निगरानी नगरपालिका

1. मोहनलाल पुत्र झंडू जाति मीणा निवासी काकरिया वालो की ढाणी (सेडूलाई) सवाईमाधोपुर रोड के पास तहसील लालसोट जिला दौसा निगरानीकर्ता  
बनाम

1. नगरपालिका मण्डल लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट
3. रामजीलाल पुत्र छाजूलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सवाईमाधोपुर रोड लालसोट
4. उप जिला कलक्टर लालसोट

गैरनिगरानीकार

अपील विरुद्ध भू-आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 बाबत ख.न. 1462 भू-आवंटन क्रमांक सं. 249 नगर पालिका मण्डल लालसोट

उपस्थिति : श्री वरुण नागर अधिवक्ता निगरानीकर्ता ।

: श्री ब्रज मोहन गौड अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 03 ।

—:निर्णय:—

दिनांक: 29.06.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि कस्बा लालसोट में ख.न. 1462 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा निगरानीकर्ता की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि है। उक्त भूमि से रेस्पोंडेन्ट नं. 03 रामजीलाल का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं है। नगरपालिका मण्डल लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से भूमि को आबादी में परिवर्तित हुए बगैर ही कृषि भूमि का पट्टा गुप-चुप में बिना निगरानीकर्ता को सूचनाई का अवसर दिये क्रमांक 249 दिनांक 18.02.2002 को जारी कर दिया गया। जिसके विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। गैर निगरानीकार सं. 01,02,04 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। नगरपालिका मण्डल लालसोट का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार एवं

अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 03 की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर

दौसा



प्रकरण संख्या 01/2013 निगरानी नगरपालिका

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की नगरपालिका मण्डल लालसोट का भू-आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 क्रमांक 249 विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया विरुद्ध होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भू-आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 में कथित तौर पर धारा 90 बी के तहत पुनः आवंटन करना बताया गया है लेकिन दिनांक 18.02.2002 तक 90 बी की कार्यवाही नहीं हुई थी एवं भूमि निगरानीकर्ता के कब्जे काश्त व खातेदारी में थी। राजस्व रिकार्ड में भूमि के आबादी में परिवर्तित होने का कोई अंकन नहीं था। लेकिन नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त भूमि का कभी भी कोई एग्रीमेन्ट निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकार सं. 03 रामजीलाल से नहीं किया। रामजीलाल ने नगरपालिका मण्डल लालसोट में निगरानीकर्ता के फर्जी हस्ताक्षरो का झूठा शपथ पत्र व अन्य कागजात पेश कर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उक्त पट्टा प्राप्त किया हैं। निगरानीकर्ता ने नगरपालिका मण्डल लालसोट या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई हस्ताक्षर नहीं किये। कृषि भूमियों को पुराने नियमों के अन्तर्गत तत्समय दिनांक 18.02.2002 को बिना 90 बी हुए आबादी में परिवर्तित हुए बिना भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी। उक्त भूमि कब आबादी में परिवर्तित हुई इस बाबत कोई रिकार्ड नगरपालिका की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ख.न. 1462 के नये ख.न. परिवर्तित होकर 3907/1462 कायम किये गये है। नगरपालिका मण्डल द्वारा जो भू-आवंटन पत्र जारी किया गया है उसमें सीमाये बताया गई। वह भूमि ख.न. 1498 की है एवं 1498 ख.न. की भूमि भी निगरानीकर्ता की खातेदारी की है। इस सम्बन्ध में भी दीवानी न्यायालयों में वाद व अपील विचाराधीन चल रही है। कृषि भूमि का कोई भी इकरार मीणा जाति का व्यक्ति स्वर्ण जाति के व्यक्ति से नहीं कर सकता। इस प्रकार कथित इकरारनामा भी धारा 42 राजस्थान टिनेनसी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावहीन दस्तावेज है। धारा 90 बी के सम्बन्ध में उपजिला कलक्टर लालसोट से भी सूचना प्राप्त करने पर कोई प्रमाणित सूचना निगरानीकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना 90 बी की कार्यवाही किये तथा आबादी में भूमि परिवर्तित हुए बिना ही नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा प्रश्नगत पट्टा दिनांक 18.02.2002 क्रमांक 249 विधि विरुद्ध जारी किया गया है। जो निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।



प्रकरण संख्या 01 / 2013 निगरानी नगरपालिका

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं. 03 द्वारा निवेदन किया गया की यदि फर्जी हस्ताक्षर से एग्रीमेन्ट पेश किया गया है तो सिविल न्यायालय में धारा 420, 120(बी) का प्रकरण दर्ज कराया जाना चाहिए था। प्रश्नगत पट्टा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार सं. 03 द्वारा विधिवत भूमि का रूपान्तरण शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। निगरानीकर्ता द्वारा गैर निगरानीकर्ता को हैरान-परेशान करने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं नगरपालिका मण्डल से प्राप्त मूल अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रश्नगत पट्टा भूमि की धारा 90 बी की कार्यवाही किये जाने एवं भूमि नगरपालिका मण्डल लालसोट की खातेदारी में दर्ज होने एवं आबादी भूमि में परिवर्तित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है एवं नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही भी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा जारी भू-आवंटन पत्र क्रमांक 249 दिनांक 18.02.2002 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टा भूमि के सम्बन्ध में निमयानुसार अपेक्षित जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )

अति० जिला कलक्टर, दौसा

